

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023

/ पटना, दिनांक—

श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम-220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2498 दिनांक-12.04.2007 में वर्णित प्रावधान के आलोक में उनकी प्रथम संतान के लिए दिनांक-16.05.2026 से 11.11.2026 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

/ बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023 2026

/ पटना, दिनांक—05/06/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली / राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), सारण प्रमण्डल, छपरा / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर / नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

/ बिहार, पटना।